

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,

फोन/फैक्स : 01376-232077,

ईमेल :

02/10/19 टिहरी वन प्रभाग,

08-09-2017 नई टिहरी।

dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 446 /12-1(2) नई टिहरी, दिनांक- 5/9/ 2017

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
घनसाली, मुख्यालय-घुमेटीधार।

विषय:- जनपद-टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड-भिलंगना में झाला-कोटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.784 है0 वन भूमि का गैर वानकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑन लाईन पत्रावली सं0-FP/UK/ROAD/11177/2015)

सन्दर्भ -

भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र सं0-8वी/यू0सी0पी0/06/100/2015/एफ0सी0/748, दिनांक:-04-08-2017 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड का पत्रांक:-613/FP/UK/ROAD/11177/2015, दिनांक:-21-08-2017।

महोदय,

भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद-टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड-भिलंगना में झाला-कोटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.784 है0 वन भूमि का गैर वानकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का निम्न प्रकार अनुपालन किया जायेगा:-

1- शासन की शर्त सं0-01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 460 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) मु0-4,60,000.00 (चार लाख साठ हजार रुपये मात्र) जमा की जायेगी।

2- शासन की शर्त सं0-02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक:-05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि मु0-5,15,088.00 (पांच लाख पन्द्रह हजार अठ्ठासी रुपये मात्र) जमा किया जायेगा।

3- शासन की शर्त सं0-03 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढता प्रस्तुत की जाए।

4- शासन की शर्त सं0-04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक:-05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी समी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो घालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है जिसकी सूचना भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष राड, देहरादून-248001 एवं इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।

5- शासन की शर्त सं0-05 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation किया जायेगा। इस आशय की वचन बढता प्रेषित करनी होगी।

साक्षात् करना होगा।

6- शासन की शर्त सं0-06 के अनुपालन में User Agency will provide original hard copy of geo-referenced digital map for area proposed for diversion as uploaded in online Part-I, para-C(iv).

7- शासन की शर्त सं0-07 के अनुपालन में User Agency will provide original copy of the NPV calculation sheet taking into account the revised density as 0.3 and also upload in part-II.

अतः शासन द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित सभी शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑन लाईन अपलोड करते हुए हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ० ~~कमल~~ रोसे)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संख्या : 446 / 12-1(2) दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ० ~~कमल~~ रोसे)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, मुख्यालय-घुमेटीधार
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
TEMPORARY DIVISION, PUBLIC WORK DEPARTMENT, GHANSALI,
HEAD QUARTER-GHUMETIDHAR



P.O. Pilkhi, Pin Code-249181
Website- <http://pwd.uk.gov.in>

Phone and Fax No. 01379-25832
E-Mail :- eeppwdghansali@rediffmail.com

पत्रांक :- 1792/10mg
सेवा में,

दिनांक-29/11/2017

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून उत्तराखण्ड।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड मिलंगना में झाला-कोटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.784 है० वनभूमि का गैर वानकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग हेतु प्रत्यावर्तन। (ऑन-लाईन पत्रावली संख्या-FP/UK/ROAD/111777/2015)

सन्दर्भ- इस कार्यालय का पत्र संख्या-1378/10 एम०जी०, दिनांक-14.09.2017।
महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में पुनः आपको अवगत कराना है कि नोडल अधिकारी के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र की शर्त संख्या-01 में 460 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू०-4,60,000.00 (चार लाख साठ हजार) मात्र जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं शर्त संख्या-02 के अनुपालन में एन०पी०वी० की घनराशि रू०-5,15,088.00 (पाँच लाख पन्द्रह हजार अठासी) मात्र अर्थात् कुल रू०-9,75,088.00 (नौ लाख पचत्तर हजार अठासी रू०) मात्र की घनराशि स्वीकृति करते हुये ऑन-लाईन पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट करते हुये Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttarakhand SB A/C No.037100101025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा नई दिल्ली में जमा करने की कृपा करें, ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अरोपित शर्तों का अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके तत्पश्चात ही उक्त मोटर मार्ग पर भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

ok

(इ. नवीन लाल वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली,
मुख्यालय-घुमेटीधार
29/11/17

पत्रांक 1792/10mg

तददिनांक।

प्रतिलिपि :-

निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता, 8वाँ वृत्त, लो०नि०वि०, नई टिहरी को इस आशय से प्रेषित कि आप भी घनावटन हेतु अपने स्तर से लिखने की कृपा करें।

ok

(इ. नवीन लाल वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली,
मुख्यालय-घुमेटीधार
29/11/17